छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सी) संख्या 3211/2021

माता दी इलेक्ट्रिकल्स की ओर से देवेन्द्र जैन पिता श्री उगम राज जैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी- तहसील कार्यालय के पास, जिला राजिम गरियाबंद, छत्तीसगढ़.

---------- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से प्रबंध निदेशक, सेक्टर-24, झांझ झील के पास, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. प्रबंधक, तकनीकी, छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की ओर से प्रबंध निदेशक सेक्टर 24, झांझ झील के पास, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.

---------- उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अनुप मजूमदार, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से : श्री अनिमेष तिवारी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी,
माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.चन्द्रवंशी

आदेश

प्रति मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी

16/12/2021

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप मजूमदार एवं उत्तरदाता की ओर से श्री अनिमेष तिवारी को सुना गया ।

2. उत्तरदाता की ओर से एन.आई.टी. में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रावधान की शर्तों के अनुसार पावर स्प्रेयर (पेट्रोल) की आपूर्ति के लिए दिनांक 02.05.2020 को निविदा (एन.आई.टी.) आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था । प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन उपरांत याचिकाकर्ता की बोली को स्वीकार किया गया । दिनांक 26.06.2020 को याचिकाकर्ता को सूचित

किया गया कि निविदा एवं अनुबंध के निष्पादन के पूर्व निगम के अधिकारी आपके पावर स्प्रेयर (पेट्रोल) के गोदाम जहां से आपूर्ति होनी है, का निरक्षण करेंगे । उक्त निरीक्षण आपको पत्र प्राप्त होने के पश्चात सात दिनों के भीतर किया जायेगा । इसके पश्चात दिनांक 26-06-2020 के पत्र का उल्लंघन करते हुये याचिकाकर्ता को दिनांक 10.07.2020 को एन.आई.टी. की शर्तों के अनुरूप 35 नग पावर स्प्रेयर (पेट्रोल) आपूर्ति करने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया । उसके पश्चात दिनांक 13.07.2020 को याचिकाकर्ता और उत्तरदाता क्र. 02 के मध्य अनुबंध पर समझौता के पहले, पूर्व-संविदा निष्पादित की गई ।

3. दिनांक 08-10-2020 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया , कि दिनांक 28.08.2020 को आपके गोदाम का निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध पावर स्प्रेयर(पेट्रोल) कार्य आदेश और एन.आई.टी में उल्लेखित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था और याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर विनिर्देशों के अनुसार पावर स्प्रेयर(पेट्रोल) को सुधारने का निर्देश दिया गया । उक्त पत्र में यह भी बताया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार न करने पर एनआइटी अधिनियम के खंड 12(iv)(g) के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.10.2020 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किये गये पावर स्प्रेयर(पेट्रोल) के निरीक्षण का अनुरोध किया गया था, उसके बाद भी कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया तथा आदेश दिनांक 21.10.2020 को उत्तरदाता द्वारा याचिकाकर्ता की संविदा को आश्चर्यजनक रूप से रद्द कर दिया गया तथा उसके द्वारा जमा अग्रिम धन को जब्त कर लिया गया तथा उसे भविष्य में उत्तरदाता के अधीन की किसी भी संविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया ।

5. आदेश दिनांक 21.10.2020 के अनुवादित संस्करण का प्रासंगिक भाग (याचिकाकर्ता द्वारा अनुवादित) निम्नवत है:

“छ.ग. राज्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय झांझ,

सेक्टर 24, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

दिनांक - 21.10.2020

प्रति,

श्री मातादी इलेक्ट्रीकल्स

तहसील कार्यालय के पास

फिंगेश्वर रोड, राजिम

जिला गरियाबंद छ.ग.

विषय :- 35 नग पावर स्प्रेयर(पेट्रोल) की खरीदने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- (1) इस कार्यालय का आपूर्ति आदेश क्रमांक 0-7068 दिनांक 10.07.2020

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 9332 दिनांक 08.10.2020.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको आपूर्ति आदेश के तहत 35 नग पावर स्प्रेयर (पेट्रोल) की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था । आपके पत्र क्र. एम.डी.ई. 351 दिनांक 25.08.2020 के अनुसार निगम से निरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया था । उक्त पत्र के अग्रशरण में मुख्यालय पत्र क्र. 8051 दिनांक 26.08.2020 के अनुसार मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जाकर निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया कि तैयार किया गया पावर स्प्रेयर(पेट्रोल) निष्पादित अनुबंध की शर्तों और विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था ।

उपरोक्त के संदर्भ में पत्र क्र . 02 के तहत आपको निर्देश दिया गया था कि आप आपूर्ति आदेश के अनुसार सामग्री तैयार करे तथा उसे आपूर्ति पूर्व निरीक्षण हेतु तैयार रखते हुए 07 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें । परंतु आज तक आपकी ओर से कोई पत्राचार नहीं किया गया है ।

अतः निविदा पत्रक के पृष्ठ संख्या 21 अधिनियम खंड 12(iv)(g) तथा पृष्ठ संख्या 25 के

अधिनियम के खंड संख्या 17(iii) के अनुसार अनुबंध निरस्त किया जा रहा है तथा निगम को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए आपकी अग्रिम धनराशि जब्त की जा रही है तथा भविष्य में आप निगम की किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किये जाते है ।

सही/-
प्रबंध निदेशक
21.10.2020

6. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री मजूमदार द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 21.10.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए निवेदन किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता अनुबंध को रद्द करने के आदेश को रद्द करने का दबाव नहीं डाल रहा है। याचिकाकर्ता अग्रिम धन राशि जब्त होने के साथ-साथ भविष्य में निविदा में भाग लेने से अयोग्य ठहराए जाने से व्यथित है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि एनआईटी के साथ-साथ समझौते में भी, किसी भी स्थिति में ब्लैकलिस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता को उत्तरदाता के भावी अनुबंध में भाग लेने से रोकना, अपने आप में, अवैध और मनमाना है और इसे विधिक समर्थन नहीं दिया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता को कारण बताने का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, जिसमें यह उल्लेख था कि याचिकाकर्ता को निगम की निविदा में भाग लेने से क्यों न स्थाई रूप अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जो कि, सामान्य शब्दों में याचिकाकर्ता को भविष्य में किसी भी अनुबंधों में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाना है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने यह निवेदन किया है कि यह कहना सही नहीं है जैसा की याचिकाकर्ता को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था, जैसा की उसने दावा किया था । उन्होंने व्यक्त किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ***''कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य''*** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार दिनांक 08.10.2020 को एक नोटिस जारी

किया गया था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डालने की शक्ति अनुबंध आवंटित करने वाले पक्ष में निहित है और केवल इसलिए कि एनआईटी या समझौते में ब्लैकलिस्ट में डालने का कोई प्रावधान नहीं था, निगम के हित में आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डालने से निगम को नहीं रोका जा सकता। जहां तक अग्रिम धन राशि की वापसी का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त संविदा के अनुबंध को रद्द करने का कोई विरोध नहीं किया रहा है, तो अग्रिम धन राशि की वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है ।

9. ***कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति अनुबंध आवंटित करने वाले पक्ष में निहित है क्योंकि 'ब्लैकलिस्टिंग' एक व्यावसायिक निर्णय को दर्शाता है जिसके द्वारा उल्लंघन से प्रभावित पक्ष उल्लंघन करने वाले पक्ष के साथ किसी भी संविदात्मक संबंध में नहीं रहने का निर्णय लेता है। जबकि दो निजी पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण है और किसी भी बाधा से अप्रभावित है, और अनुबंध करने या न करने की स्वतंत्रता अनर्ह है, ऐसा कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है जब वह राज्य या उसके किसी भी संस्था द्वारा लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई भी निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मानदंडों पर अपितु आनुपातिकता के सिद्धांत पर भी निरीक्षण के लिए पात्र होगा । इस प्रकार, ब्लैलिस्ट में डाले जाने वाले पक्ष की निष्पक्ष सुनवाई, शक्ति के समुचित प्रयोग के लिए एक आवश्यक निबंधन बन जाती है और इसके अनुसार ब्लैकलिस्ट में डाले जाने का वैध आदेश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसलिए, श्री मजूमदार का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को उत्तरदाता के साथ भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने से वर्जित किये जाने के प्रावधान के अभाव में बिना गुण-दोष के उत्तरदाता के साथ भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है।

11. चूंकि, दिनांक 08.10.2020 के पत्र का अवलोकन पर श्री तिवारी ने यह तर्क देने के लिए

विश्वास व्यक्त किया है कि प्रस्तावित ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, जो कि यह दर्शाता है कि उक्त नोटिस में याचिकाकर्ता को कारण बताने के संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह उत्तरादाता के किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य क्यों नहीं होगा। नोटिस में अधिनियम के खंड 12(iv)(g) में 'विफलताओं और अवसान' से संबंधित उल्लेख है, किंतु भविष्य में अयोग्यता के संबंध मे खंड में कोई उल्लेख नहीं है ।

12. चूंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ब्लैकलिस्ट में डाले जाने का आदेश वैध रूप से पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता को आने वाले समय के लिए, उत्तरदाता के अनुबंधों में भाग लेने से रोकना, पूरी तरह से मनमाना और अवैध है और इसलिए, दिनांक 21.10.2020 के आदेश में दिये गये ऐसी शर्तों को रद्द किया जाता है। उत्तरदाता को यह सलाह दी जाती है कि विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहां तक अग्रिम धन राशि वापस करने की प्रार्थना का प्रश्न है, चूंकि कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया गया है, इसलिए अग्रिम धन राशि वापस करने के निर्देश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

14. रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निर्णित/समाप्त की जाती है। कोई लागत नहीं।

सही/-
(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
(एन.के. चंद्रवंशी)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**